::आदेश::

कोरोनावायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में स्थित बैंको को खुला रखने हेतु समय–समय पर पारित पूर्व आदेशो में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते है, जो दिनांक 03.04.2020 से प्रभावी होगे:–

1. दिनांक 03.04.2020 से सभी बैंक प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक ग्राहकों से लेन–देन हेतु खुले रहेगे।
2. अपरान्ह 01 बजे से 05 बजे तक बैंक अपने आन्तरिक मिलान एवं अन्य कार्य सम्पन्न कर सकेगें।
3. सभी एटीएम प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक खुले रहेगें।
4. सभी बैंक मित्र भी उपरोक्त समय प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक नकदी का लेन–देन करेगें। कुछ बैंक मित्र जो दुकानों में अवस्थित है, उनको मात्र बैंकिग लेन–देन के लिये ही दुकान (प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 01 बजे) के मध्य खोलने की अनुमति होगी।
5. इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक AEPS के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम है, जो आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित रहेगें, इसलिये सभी बैंक उक्त अवधि में अपने पोस्टमैन/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंक के ग्राहकों का भुगतान भी सम्पन्न करेगें।
6. बैंक से जुड़े कर्मचारियों को अपने विभाग द्वारा (सक्षम स्तर से) जारी पहचान–पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर ही उन्हें चार–पहिया व दो–पहिया वाहन में आवागमन की छूट होगी।
7. बैंक मित्र आवागमन के लिये जिला लीड बैंक अधिकारी, देहरादून को अधिकृत किया जाता है, जो बैंक मित्र के कार्य स्थान से सम्बन्धित बैंक तक आवागमन की अनुमति हेतु पास जारी कर सकेगें। किन्तु यह पास केवल उन्ही को जारी किया जायेगा, जो वास्तविक रूप में बैंक से सम्बन्धित है।
8. दिनांक 03 अप्रैल से 09 अप्रैल तक प्रधानमंत्री जन–धन खाता धारकों को उनके खाता संख्या के अन्तिम अंक के अनुसार भुगतान होगा :–

खाता संख्या का अन्तिम अंक	लाभार्थी के खाते से धन निकासी हेतु निर्धारित तिथि
0 या 1	03.04.2020
2 या 3	04.04.2020
4 या 5	07.04.2020
6 या 7	08.04.2020
8 या 9	09.04.2020

9. जहाँ कही ग्राहक/लाभार्थी का अंगूठा लगाया जाना अनिवार्य हो, ऐसे मामलो में अंगूठा लगाने से पहले व बाद में सम्बन्धित उपकरण को अनिवार्य रूप से सैनेटाईज करना होगा।
10. कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम हेतु भारत सरकार की एडवाईजरी के अनुरुप बैंको को सामाजिक दूरी (Social distancing) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस दौरान प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजेशन की व्यवस्था अपरिहार्य होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगे।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 276/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक : 02, अप्रैल, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव–मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3– सचिव महोदय, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
6– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
9– जिला लीड बैंक अधिकारी, देहरादून।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

Scanned with CamScanner